Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A part-II paper-III Indian Government and Politics
TOPIC - Constitution - 1
Lecture - 46

The formation of the Constituent Assembly

भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ था। परंतु हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि हमारे पास स्वयं निर्मित कोई संविधान नहीं था। सन् 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास करके यह व्यवस्था की थी कि जब तक भारत तथा पाकिस्तान की संविधान सभाएँ अपने-अपने नए संविधानों का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक इन दोनो अधिराज्यों (Dominions) में 1935 का एक्ट लागू रहेगा। इसके अतिरिक्त 1947 के एक्ट ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अपितु अधिराज्य (Dominions) की स्थिति प्रदान की थी। दिसम्बर, 1929 में देशवासियों ने लाहौर के निकट रावी नदी के किनारे कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण आजादी प्राप्त करने की मांग की थी। भारत को सम्पूर्ण स्वतंत्रता उसी दिन से प्राप्त होनी थी, जिस दिन से स्वतंत्र भारत का अपना संविधान लागू होना था। यह शुभ दिन 26 जनवरी, 1950 का था। 26 जनवरी, 1950 को लागू होने वाले स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा (Constituent Assembly) की लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

संविधान की आवश्यकता (Necessity of the Constitution)

प्रत्येक राज्य के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान के बिना राज्य का शासन चलाना

कठिन है। राज्य का रूप चाहे कोई भी क्यों न हो, जैसे - राजतंत्र, कुलीनतंत्र, अधिनायकवाद फासिस्टवाद, प्रजातन्त्र नियमों, उपनियमों का होना अनिवार्य है जो समाज को अराजकता से दूर रख सके। इन नियमों के समूह को ही संविधान कहते हैं।
के० एम० मुंशी ने "संविधान को राज्य की आत्मा बताया है।
प्रो० लॉर्ड ब्राइस के अनुसार "संविधान में वे कानून या नियम सम्मिलित होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य और इसके प्रति नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं।

संविधान का वर्गीकरण (Classification of the Constitution) संविधान का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है —

(क) संविधान की रचना किस प्रकार हुई है — इस आधार पर संविधान के दो रूप माने जाते हैं —
1. विकसित संविधान (Evolved Constitution)
2. निर्मित संविधान (Enacted Constitution)

(ख) संविधान का स्वरूप क्या है - इस आधार पर भी संविधान के दो रूप माने जाते हैं -
(1) लिखित संविधान (Written Constitution)
2. अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)

(ग) संविधान में संशोधन की विधि किस प्रकार की है - इस आधार पर भी संविधान के दो रूप माने गए हैं —
(1) लचीला संविधान (Flexible Constitution)
(2) कठोर संविधान (Rigid Constitution)

संविधान सभा का गठन (Composition of the Constituent Assembly)

संविधान सभा की माँग का श्रेय सबसे पहले स्वराज्य पार्टी के नेताओं को जाता है। 1920 में कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाया था। यह आंदोलन 2 वर्ष बड़ी सफलता से चला। जब यह आन्दोलन अपने पूरे यौवन पर था तो महात्मा गाँधी ने वापसी। 1922 में इसे तत्काल समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में चौरी - चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। महात्मा गाँधी के द्वारा तत्काल आन्दोलन समाप्त करने के कारण अनेक सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता महात्मा गाँधी से अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही एक अन्य दल का गठन कर लिया जिसमें मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपतराय आदि प्रमुख थे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा माँग — ब्रिटिश संसद ने संविधान सभा को सम्बन्ध में श्वेतपत्र जारी किया था। उसमें भारत के लिए बनाए जा रहे नए संविधान के प्रति कुछ योजनाएँ अंकित थीं। श्वेत पत्र में अंकित सुझावों को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अस्वीकार कर दिया।

28 दिसम्बर, 1938 को पटना में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा इस बात की माँग की गई कि "भारतीय लोग केवल एक ऐसे संवैधानिक ढाँचे को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण उनके द्वारा हुआ हो और जो एक वास्तविक रूप में भारत की स्वतन्त्रता पर आधारित हो और जो भारतीय लोगों की उनकी आवश्यकताओं

और इच्छाओं के अनुसार विकास करने के अवसर देता हो। 15 सितम्बर, 1934 को कांग्रेस ने अपनी संविधान सभा की मांग को पुनः दोहराया। कांग्रेस के अतिरिक्त महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने अपने भाषणों और लेखों द्वारा संविधान सभा की मांग को और लोकप्रिय बना दिया।

अगस्त घोषणा (August offer) — 1 सितम्बर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी का यह आक्रमण ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा था। अतः इंग्लैंड ने 3 सितम्बर, 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा करते समय इंग्लैंड ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (British Commonwealth of Nations) के देशों से प्रार्थना की कि वे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दें। इंग्लैंड की इस प्रार्थना को मानते हुये राष्ट्रमंडल के अनेक देशों की सेवाओं ने युद्ध में ब्रिटेन की ओर से शामिल होने की घोषणा कर दी थी। परन्तु भारत से इस विषय में कोई प्रार्थना नहीं की गई और भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन की ओर से शामिल है।

1939 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थीं। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अन्तर्गत भारत को युद्ध में शामिल के विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने को कहा गया। अंग्रेज सरकार कांग्रेस के ऐसे असहयोग पूर्ण व्यवहार को सहन नहीं कर सकती थी। लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की जिसे 'अगस्त घोषणा' कहा जाता है।